



Case No. 102/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/ATY-2664/DL/36/2025-RU-IV

श्री सतीश गोलछा,
पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: cpdelhi@delhipolice.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **31/10/2025** को **12:20 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

संदर्भ 1

- (i) प्रार्थिनी के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा दोषी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के संबंध में – सुश्री वुंग घई किम, 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का दिनांक 31.05.2025 का पत्र।
- (ii) O/o the Dy. Commissioner of Police, North District, Delhi vide lette No. F-24(T-55/25)/4294/Compt. (AC-1)/North dated 27.09.2025.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 21/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

(Signature)

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003